



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682।

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2016/आश्विन 6, 1938

No. 682।

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2016/ASVINA 6, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 922(अ).—केंद्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 10ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लागत और संकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 15 अक्टूबर, 2015 में प्रकाशित कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 787(अ) तारीख 15 अक्टूबर, 2015 द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में, मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) सुश्री वी.गीता,

सदस्य"।

सलाहकार (लागत),

कारपोरेट कार्य मंत्रालय,

पर्यावरण भवन,

सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड,

नई दिल्ली – 110003

[फा. सं. 2/4/2015-पीआई]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव